न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निग - 2731 - PBR/16

रामेश्वर पिता विजयसिंह, जाति राजपूत,
निवासी–ग्राम पिपल्या कुंवरसी, तह. व जिला धार ....निगरानीकर्ता

बनाम

राधाबाई बेवा हरीसिंह, जाति कलाल, आयु 52 वर्ष
निवासी–ग्राम मोतीनगर सागौर तह. व जिला धार म0प्र0 ....विपक्षी

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 मुजब

माननीय न्यायालय,

सेवा में, अत्यन्त विन्रमता से निवेदन है कि मूल न्यायालय को, नायब तहसीलदार महोदय धारा ने राजस्व प्रकरण कमांक 50/2015–16/बी–21 ग्राम पिपल्या कुंवरसी की भूमि सर्वे नं. 85/8 रकबा 1.045 हेक्टेयर के संबंध में विपक्षी जो कलाल समाज की है मोतीनगर सागोर में रहती है उक्त गांव में उसका निवास नही है ना हक है ना कब्जा है उक्त भूमि के संबंध में एक आवेदन पत्र दिनांक 14/07/2016 को पेश हुआ उसमें स्वयं नायब तहसीलदार साहब ने संबंधित को नोटिस जारी करने के संबंध में उल्लेख कर हस्ताक्षर किये ओर नोटिस की आज्ञा होते हुए दिनांक 14/7/2016 में जो आदेश पत्रिका में यह लिख दिया कि प्रकरण में जबरन रास्ता रोकना और धमकाने जैसा कार्य हो रहा है पटवारी वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश करें और प्रकरण प्रतिक्षा में रखा गया है एक सूचना पत्र जो इस निगरानी के साथ पेश है उसमें भी यह लिखा गया कि मजदूर ट्रेक्टर चलाने, रास्ता रोकने, व धमकाने की बात पर हुई शिकायत पर से पटवारी इन्दरसिंह वास्केल, पटवारी हल्का नं. 84 व गणपत बघेल पटवारी हल्का नंबर 85 का उल्लेख कर सूचना दी जावें उसकी एक प्रति संबंधित विपक्षी रामेश्वर को भी सूचना दी जावें ऐसा उल्लेख पत्र में किया जिस संबंध में मौके पर कब जाना व मैं उपस्थित रहू इस बाबद कोई सूचना संबंधित पटवारी ने नही दी ना मुझे बुलाया और मनचाहा जो पत्र संबंधित पटवारी को भेजा गया उसमें भी जो कार्य न करते हुए मौके पर कब्जा रामेश्वर का पाया गया पुराने से समय से कब्जा है मुझे कोई सूचना पत्र न देते हुए घर पर बैठकर मनचाहा पंचनामा व रिपोर्ट आज्ञा के विरूद्ध दिनांक 20/7/2016 को अपने कर्तव्य का अपालन कर आज्ञा के विरूद्ध बिना सूचना के व्यर्थ तौर पर उल्लेख कर कोई पत्र बनाया और 20/07/2016 को ही ऐसा लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से बिना सूचना के दिनांक 20/07/2016 को जो बिना कानून कायदें की है बी 121 में उल्लेख कर आज्ञा दी और उस पर नायब तहसीलदार साहब ने हस्ताक्षर किये यह सारी कार्यवाही उनके अधिकारों के परे है उन्होनें स्वयं ने दिनांक 14/07/2016 को उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना हो जबकि सूचना का प्रथम पालन होना, जवाब लेना आगे बढना यह न करते हुए सभी कर्मियों ने अधिकारों के परे जाकर योजनाबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित, काबिज जो दिनांक 15/08/1950 के पूर्व से है आज भी है उसे बिना सूचना के कानून को बलायेताक रखकर मनमाना पंचनामा रिपोर्ट और दिनांक

20/07/2016 में उल्लेख है वे सब विचाराधिकारहित है कोई ऐसा निर्णय दिनांक 16/11/2015 को नहीं है ना उसमें कोई आज्ञप्ति कब्जे संबंधी या अन्य संबंधी राधाबाई के पक्ष में है यों भी हकरसी के लिये आदेश 21 सी.पी.सी. है ऐसा ना करते हुए कोई राजस्व न्यायालय की आज्ञा न होते हुए धारा 38 म0प्र0भू0रा0सं0 का पालन न करते हुए खड़ी फसल सोयाबीन आदि की होते हुए उक्त प्रकरण में ग्राम पिपल्या कुंवरसी के संबंध में पिपल्या गांव की उक्त भूमि के संबंध में कार्यवाही का प्रारंभ और पंचनामा रिपोर्ट व मुतफरी अर्जी पर से स्वयं नायब तहसीलदार ने सूचना का लिखा है उससे हटकर बिना बुलाये, सुने गाली गालोच की बात कहकर उससे हटकर सारा एबिनिशोवाईड है शून्य है उसे संपूर्ण कार्यवाही को निगरानी में लेकर अपास्ति बाबद उक्त संपूर्ण कार्यवाही पंचनामा रिपोर्ट व आदेश पत्रिका 14/07/2016, 20/07/2016 को अपास्ति बाबद यह निगरानी अर्ज निम्न आधारों पर प्रस्तुत है अन्दर अवधि है अगर कोई कानूनी उज्र निगरानी अर्ज सुनने में है तो उक्त कार्यवाही सुपरवीजन पावर में उसका उपयोग कर मूल न्यायालय ने एक पुरातन समय से काबिज व्यक्ति के संबंध में बिना सुने, बिना बुलाये जो कार्य किये है उसे अपास्त बाबद निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2731–पीबीआर/16 [रामेश्वर/सदाशिव] जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित, अतः उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । तहसील न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय का आदेश अंतिम प्रकृति का आदेश है, जो कि अपील योग्य आदेश है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । पक्षकार नियमानुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	